संचिका सं0–वै0दा0नि0को0–25/स्थापना–32/12/ 431(25)

बिहार सरकार

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार यादव,
संयुक्त सचिव, भा0प्र0से0,
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/
सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी विभागाध्यक्ष/
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 4/3/20

विषय:– **पत्राचार का पता में पिन कोड एवं मोबाईल नंबर अंकित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारतीय डाक विभाग के पत्रांक–12/BPC/Manager/Misc/2020 दिनांक–08.02.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया गया है कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे जाने वाले पत्रों में पिन कोड एवं मोबाईल नंबर/टेलिफोन नंबर अंकित करने की अनिवार्यता है। विदित हो कि वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत होने वाले सभी पत्र/वेतन पुर्जा स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किये जाते है। डाक विभाग द्वारा दिनांक–11.02.2020 से वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग से प्रेषित वैसे पत्र तथा वेतन पुर्जा, जिसमें पिन कोड अंकित नहीं है, को वितरण हेतु ले जाना बंद कर दिया गया है, फलतः डाक वितरण का कार्य प्रभावित हो रहा है।

अतः अनुरोध है कि दिनांक–01.04.2020 से वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित किये जाने वाले पत्रों में पत्राचार का पता के साथ पिन कोड एवं मोबाईल नंबर/टेलिफोन नंबर निश्चित रूप से अंकित करने हेतु सभी अधीनस्थ कार्यालय/पदाधिकारी को निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

4/03/20

(सुनील कुमार यादव)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:– वै0दा0नि0को0–25/स्थापना–32/12/ 431(25) पटना, दिनांक– 4/3/20

प्रतिलिपि:– श्रीमती रश्मि रेखा, सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुनील कुमार यादव)
संयुक्त सचिव

बिहार सरकार

वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

आप अवगत हैं कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे जाने वाले पत्रों में पिन कोड एवं मोबाईल नंबर अंकित करने की अनिवार्यता है। वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत होने वाले सभी पत्र/वेतन पुर्जा स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किये जाते है। वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना से वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु विहित प्रपत्र में प्रेषित किये जाने वाले आवेदन में सभी प्रविष्टि (पत्राचार का पता, पिन कोड एवं मोबाईल नंबर सहित) निश्चित रूप से पूर्ण करते हुए उपलब्ध कराया जाय। अन्य मामलों से संबंधित अभ्यावेदन में भी पत्राचार का पता में पिन कोड एवं मोबाईल नंबर निश्चित रूप से अंकित किया जाए, ताकि कृत कार्रवाई की सूचना आवेदक को दी जा सके। बिना पिन कोड एवं मोबाईल नंबर के प्राप्त आवेदन/पत्र पर कृत कार्रवाई की सूचना नहीं देने की जवाबदेही वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना की नहीं होगी।

04/03/20

संयुक्त सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना।